रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 1972/भाद्र 10, 1894
No. 228] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 1972/BHADR 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st September 1972

G.S.R. 399(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 159/72-Central Excises, dated the 1st July 1972, the Central Government hereby fixes a tariff value of two hundred and thirty-five rupees per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad valorem*.

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

[No. 197/72.

S. R. NARAYANAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1972

सा० का० नि० 399 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 जुलाई, 1972 की अधिसूचना संख्या 159/72 के० उ० शु० को अतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 की उपमद संख्या (1) के अंतर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए दो सौ पैंतीस रुपये प्रति मिट्रिक टन मूल्य एतद्द्वारा नियत करती है ।

परन्तु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ध) के अधीन विक्री को जाने के लिए अपेक्षित चीनी पर लागू नहीं होगी ।

[सं० 197/72]

एम० आर० नारायणन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972